न्यायालय न्याय निर्णयन अ[illegible] अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
49/2025 प्रा.पत्र/2025	30.05.2025	11.07.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरज मल जैन मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स स्वास्तिक ट्रैडर्स छाया मार्केट जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी 75, जनता कालोनी देवली जिला टोंक राज0 मोबाईल नं0 9214680514

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उप0।

दिनांक 11/7/25

:–<u>निर्णय</u>–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2025 को समय 01:51 पी.एम. पर मैसर्स स्वास्तिक ट्रैडर्स छाया मार्केट जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरज मल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स स्वास्तिक ट्रैडर्स छाया मार्केट जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक पर खादय पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरज मल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरज मल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री शेखर चन्द जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में घी, तेल, मूंगफली व सरसों टिन 910–910 ग्राम, 2–2 लीटर व अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य के साथ **मुंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Groundnut Oil Shub Mangal Brand)** की 910–910 ग्राम की प्लास्टिक की बोतल मूल पैक 20–20 बोतलों के एक कार्टून सहित 13

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कार्टून वास्त आम जनता को विक्रय के दुकान रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरज मल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरज मल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि **मुंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Groundnut Oil Shub Mangal Brand)** जिसके बैच नम्बर 2 एवं पैकिंग की दिनांक 11 फरवरी–2025 थी, **मुंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Groundnut Oil Shub Mangal Brand)** की 910–910 ग्राम की 4 प्लास्टिक बोतल मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मुंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Groundnut Oil Shub Mangal Brand)** 910–910 ग्राम की 4 प्लास्टिक बोतल मूल को ज्यों का त्यों अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4308 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4308 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 910–910 ग्राम की 4 प्लास्टिक की बोतल को क्रय करने के बाद शेष 12 कार्टून 20–20 बोतल 910–910 ग्राम के एवं 16 बोतल का 1 कार्टून को नियमानुसार सीज किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रेता श्री शेखर चन्द जैन पुत्र श्री सूरज मल जैन मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स स्वास्तिक ट्रैडर्स छाया मार्केट जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी उक्त खाद्य पदार्थ का कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/388 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/1035/एक्ट/2025/1040 दिनांक 24.02.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मुंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Groundnut Oil Shub Mangal Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए। अभिभाषक ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मुंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Groundnut Oil Shub Mangal Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मुंगफली तेल शुभ मंगल ब्राण्ड (Groundnut Oil Shub Mangal Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता हैं कि जब्त किए गए खाद्य पदार्थ के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0